

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 25, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. बी-11-7-2013.—कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं. 13011-02-2008-क्रेडिट II (पीटी), दिनांक 7 फरवरी 2013 के द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन के द्वारा एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED) एवं आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी (ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED) के माध्यम से दतिया, श्योपुर एवं ग्वालियर जिले में पायलट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी वर्ष 2013-14 के लिये निम्नानुसार अधिसूचित की जाती हैः—

2. म. प्र. राज्य में पायलट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी मौसम वर्ष 2013-14 के लिये जिलों, बीमा इकाई, अधिसूचित फसलों एवं बीमा कम्पनियों की सूची निम्नानुसार हैः—

तालिका—1

क्र. सं.	जिले	मुख्य फसलें	बीमा इकाई	कृषक श्रेणी	बीमा कम्पनी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दतिया	सिंचित गेहूं, चना, राई-सरसों	ग्राम पंचायत	ऋणी और अऋणी कृषक	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2	श्योपुर	सिंचित गेहूं, चना, राई-सरसों	ग्राम पंचायत	ऋणी और अऋणी कृषक	— ”—
3	ग्वालियर	सिंचित गेहूं, चना, राई-सरसों	ग्राम पंचायत	ऋणी और अऋणी कृषक	आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी.

जोखिम स्तर के निर्धारण हेतु स्वीकृत प्रक्रिया, श्रेशहोल्ड उपज तथा वास्तविक प्रीमियम दरें संक्षेप में परिशिष्ट—1 में वर्णित हैं।

3. अधिसूचित फसलवार जोखिम स्तर, बीमित राशि की सीमाएं एवं प्रीमियम की दरें परिशिष्ट—2 में हैं।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर क्रियान्वित की जावेगी, अब यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तरह सेवा शुल्क में छूट प्राप्त है। योजना में शामिल ग्राम पंचायतों एवं फसलों की सूची परिशिष्ट—3 में है।

4. इस योजना का क्रियान्वयन रबी वर्ष 2013-14 में निम्नानुसार किया जाएगा:—

4.1. **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का निकास।**—जिन अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की जायेगी। उन क्षेत्रों अधिसूचित फसलों हेतु वहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित नहीं होगी।

4.2. **बीमा आवरण के लिए पात्र किसान।**—अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी कृषक योजना में शामिल किए जाने योग्य हैं।

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के कृषकों को शामिल किया जाएगा:—

(क) **अनिवार्य आधार पर :** सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और जिनकी वित्तीय संस्थानों से दिनांक 31 जनवरी, 2013 तक साख सीमा अनुमोदित हैं एवं जो कि ऋणी कृषक हैं। ऋण आवेदन में कृषक द्वारा घोषित रकम अथवा वास्तविक बोये गये क्षेत्र के आधार पर बैंक शाखा द्वारा बीमा योग्य फसलों का आवरण पृथक-पृथक दर्शाना होगा।

(ख) **ऐच्छिक आधार पर :** अधिसूचित फसल उगाने वाले वे सभी कृषक जो कि अऋणी कृषक हैं एवं जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं, वे निम्नानुसार हो सकते हैं:—

(1) स्वयं मालिक—जमीन जोतने वाले कृषक।

(2) ठेके पर खेती के अन्तर्गत सम्मिलित कृषक (प्रत्यक्ष अथवा प्रवर्तक/आयोजक के द्वारा)।

(3) कृषक समूह/खाद कंपनी की सेवा समितियां, कीटनाशक फर्म, फसल उत्पादक संस्थाएं, स्वयं-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य।

(4) कारपोरेट कृषि प्रक्षेत्र।

4.3. **बीमा इकाई।**—अधिसूचित फसलों हेतु बीमा की इकाई ग्राम पंचायत रहेगी। अधिसूचित फसलों की वर्गवारी एवं बीमा की इकाई तालिका—1 में वर्णित है।

4.4. **प्रीमियम अनुदान एवं प्रीमियम अनुदान की हिस्सेदारी।**—प्रीमियम की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथडोलोजी) का उपयोग कर की गई है। अनिवार्य आवरण अथवा श्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक जो भी अधिक हो ऋणी कृषक हेतु एवं श्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक अऋणी कृषकों को प्रीमियम में अनुदान दिया जावेगा। वास्तविक प्रीमियम (कुल) तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि के अन्तर की राशि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50: 50 के अनुपात में अनुदान के रूप में परिशिष्ट—1 के अनुसार बहन किया जायेगा। (फसलवार, क्षेत्रवार ब्लौरा परिशिष्ट—2 में दिया गया है।) साथ ही राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि में अनुदान का हिस्सा अग्रिम तौर पर दिया जावेगा, जो कि मौसम के आरंभ में, जो न्याय-संगत अनुमान के आधार पर होगा।

4.5 बीमित राशि की सीमाएं तथा आवरण—

- 4.5.1. **ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर) :**—(क) अनिवार्य आवरण: बीमित राशि व्यक्तिगत कृषक जो अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा (हेक्टेयर में)/जैसे ऋण आवेदन में उल्लेखित किया गया तथा अनिवार्य आवरण बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचना के परिशिष्ट-2 में दर्शाए अनुसार रहेगी।
- 4.5.2. **अऋणी कृषक (ऐच्छिक आधार पर) :**—जो कृषक अधिसूचित मौसम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु योजना में सम्मिलित होना चाहते हों और जो ऋणी कृषक के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हों ऐसे कृषक एक प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम राशि के साथ नजदीकी बैंक शाखा अथवा अधिकृत चैनल पार्टनर अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर बीमा कर सकते हैं, किन्तु उस बैंक में कृषक का खाता होना जरूरी है।
- (क) **साधारण आवरण :** परिशिष्ट-2 के अनुसार थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य तक साधारण आवरण माना जावेगा। कृषक द्वारा देय शुद्ध प्रीमियम दर परिशिष्ट-2 के अनुसार रहेगी। साधारण आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा।

4.6 मौसम अनुशासन.—रबी 2011-12 मौसम के अन्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु मौसम अनुशासन (अंतिम तिथियां) निम्नानुसार लागू रहेंगी:

गतिविधि	अंतिम अवधि/तिथि
अनिवार्य आवरण के अन्तर्गत ऋणी कृषकों के लिए ऋण अवधि (अनुमोदित ऋण)	31 जनवरी 2014
बैंक/समितियों द्वारा अऋणी कृषक के प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर 2013
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋणी कृषक के घोषणा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 मार्च 2014
बीमा कम्पनी द्वारा बैंकों से अऋणी कृषक के घोषणा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जनवरी 2014
बीमा कम्पनी द्वारा मध्यस्थों से अऋणी कृषक के घोषणा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर 2012
औसत उपज के आंकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राथमिक तौर पर अंतिम फसल कटाई से एक माह के भीतर।

4.7 आवरण प्रक्रिया—

- 4.7.1. **ऋणी कृषक (अनिवार्य बीमा) :** वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रयोग हो रही नोडल बैंक पद्धति का प्रयोग संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिये भी किया जायेगा। सभी वाणिज्यिक बैंक (निजी बैंकों सहित), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जो कि अधिसूचित मौसम में अधिसूचित फसल के लिये अधिसूचित बीमित इकाई क्षेत्र में फसल ऋण स्वीकृत/वितरित कर रहे हैं, वह सभी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बीमा करें। ऋणी कृषकों के लिये परिचालन पद्धतियां वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार रहेंगी। सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से मौसम अनुशासन के अनुसार करेंगी।

सभी फसल ऋण वितरित करने वाली बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिये एक प्रीमियम रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें कृषक का नाम, फसल ऋण खाता संख्या, फसलवार बीमित क्षेत्र, फसलवार अनिवार्य बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का उल्लेख करेंगे।

बैंक शाखा बीमा के लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये कृषक द्वारा ऋण आवेदन-पत्र में घोषित रकबा अथवा कृषक द्वारा वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल का प्रयोग किया जायेगा।

बैंक शाखा द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर के आधार पर बैंक शाखा उस माह में स्वीकृत फसल ऋण का एक मासिक संघटित ब्यौरा तैयार करेंगी जिसमें फसलवार, बीमित इकाईवार फसल बीमा की जानकारी, बीमा प्रीमियम राशि के साथ अपने नोडल बैंक कार्यालय को 15 दिनों के भीतर भेज देंगे।

बैंक शाखा/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बीमा प्रीमियम कंपोनेंट जो कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा प्रीमियम भुगतान हेतु आवश्यक है। कृषक को स्वीकृत ऋण सीमा से अतिरिक्त ऋण वितरण करेंगे।

ऐसे फसल ऋण जो कि सोना/आभूषण के बदले में लिये गये हैं, अधिसूचित क्षेत्र व फसल के लिये है, तथा मौसम अनुशासन का पालन करते हैं। वह भी योजनान्तर्गत अनिवार्य बीमा आवरण के लिये पात्र हैं।

ऋणी कृषक के लिये बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिये रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना के परिशिष्ट-2 में दर्शायी गई अनिवार्य बीमित राशि के गुणांक के बराबर होगी।

नोडल बैंक कार्यालय बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी को माहवार, अधिसूचित क्षेत्रवार, फसलवार, घोषणा-पत्र तैयार कर बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि के बैंक चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अधिसूचना में घोषित फसलों एवं मौसम की अंतिम तिथियों के अनुरूप ऋणी कृषकों के घोषणा-पत्र प्रेषित करेंगे।

- 4.7.2 अऋणी कृषकों के लिये आवरण प्रक्रिया :**
1. अऋणी कृषकों का अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक/वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।
 2. अऋणी कृषक द्वारा पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव-पत्र, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं अपेक्षित प्रीमियम राशि बैंक में जमा करनी होगी। अऋणी कृषक को बीमित फसल का उगाई प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
 3. अऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा बैंकों के अलावा बीमा मध्यस्थ एवं बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट से करा सकते हैं।

- 4.8 क्षतिपूर्ति के निर्धारण की विभिन्न पद्धतियाँ :** बीमित फसल की क्षतिपूर्ति का आकलन निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पद्धतियों के आधार पर किया जायेगा जो योजना की परिचालन (Operational Guidelines) के अनुरूप हैः—

- 4.8.1 फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित) :** फसल कटाई के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर, गंभीर आपदा होने पर 25 प्रतिशत तक की संभावित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है।
- 4.8.2 बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना (Prevented Sowing/Sowing Failure) क्षेत्र आधारित :** यदि प्रदेश/एस.एल.सी.सी.आई (प्राथमिक मौसम संकेतकों के अनुमान, क्षेत्र गणना, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर) यह निर्णय लेती है कि बीमित इकाई के अधिकांश क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी या बुवाई नष्ट हो गई तो ऐसी स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। यदि इस आपदा के लिये क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है, तो तत्पश्चात् बीमा आवरण उस फसल हेतु आगे के मौसम के लिये समाप्त माना जायेगा।

यदि मौसम के दौरान लगभग पूर्ण क्षतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, (किसी स्तर पर फसल चक्र की सम्पूर्ण लागत मूल्य को वहन नहीं किया गया हो) तो क्षतिपूर्ति का भुगतान 'graded scale' के आधार पर किया जायेगा।

चालू मौसम के दौरान क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकता है यदि प्राथमिक मौसम संकेतकों से यह सिद्ध हो जाता है कि फसल की अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से भी कम होगी।

- 4.8.3 **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन :** स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि एवं भूस्खलन के मामलों में पृथक् आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति संबंधी आंकलन किया जायेगा इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था /कार्यान्वयक एजेन्सी के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि संबंधी सूचना मिलने पर कार्यान्वयन एजेन्सी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये क्षेत्र में हानि निर्धारक/ Technical Personnel of the Company को भेजेगी। ग्राम पंचायत में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक एजेन्सी की सहायता करेगा।
- 4.9 **बैंकों के लिये सेवा शुल्क।—** नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 2.50 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- 4.10 **विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका।—** विभिन्न एजेन्सियों जैसे राज्य शासन, नोडल बैंक, बीमा कंपनी एवं कृषकों की भूमिका एवं दायित्वों का विवरण भारत सरकार द्वारा जारी योजना को परिचालन पद्धतियों में दिया गया है। आई.सी.आई.सी.आई.लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंकों के माध्यम से करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उप सचिव.

परिशिष्ट-1

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) क्षतिपूर्ति स्तर की गणना, श्रेशहोल्ड उपज, वास्तविक प्रीमियम दर एवं प्रीमियम अनुदान की गणना की गणना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी।

(1) **क्षतिपूर्ति स्तर।—** संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये जोखिम के तीन स्तर 70, 80, एवं 90 प्रतिशत हैं जो कि उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम को दर्शाते हैं। योजना के अन्तर्गत सुधारित विशेषताएं तथा बीमांक द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर क्षतिपूर्ति स्तर हानि मूल्य (कुल क्षतिपूर्ति जो कुल बीमित राशि का प्रतिशत है) का आंकलन किया जायेगा। जोखिम स्तर का निर्धारण जिले के फसल की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के बिखराव (variability) आंकड़ों के आधार पर होगा।

(2) **श्रेश होल्ड उपज।—** संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में यह प्रावधान है कि किसी फसल के लिये श्रेशहोल्ड उपज या गारन्टी उपज पिछले सात वर्षों की औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर जिनमें से अधिकतम दो वर्ष जहां पर सरकार/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई हो, को छोड़कर क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा कर निकाली जाएगी। हांलाकि यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम पिछले पांच वर्षों के उपज के आंकड़े श्रेशहोल्ड उपज की गणना के लिये उपलब्ध हो। संशोधित रा.कृ.बी.यो. में यह प्रावधान है कि मुख्य फसलों के लिये बीमा इकाई गांव/ग्राम पंचायत होगी। हांलाकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां गांव/ग्राम पंचायत स्तर के विगत वर्षों के उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रेशहोल्ड उपज की गणना के लिये उच्च बीमा इकाई अथवा उच्च बीमा इकाई एवं गांव/ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ों का संयुक्त औसत जहां पर गांव/ग्राम पंचायत स्तर के कुछ वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अनुसार उपज प्राप्त होने पर श्रेशहोल्ड उपज की गणना जोखिम स्तर से गुना कर की जावेगी।

(3) **वास्तविक प्रीमियम दर।—** संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्रीमियम दर की गणना “अनुभव मूल्यांकन” तथा विगत 10 वर्षों के क्षतिपूर्ति अनुभव के आधार, यदि ऐसा होने पर की जावेगी। शुद्ध प्रीमियम दर की गणना योजनान्तर्गत विभिन्न अतिरिक्त लाभ के अलावा क्षतिपूर्ति अनुभव, यदि ऐसा होने पर, का समायोजन करते हुए की जावेगी एवं कारोबार व्यय, वित्तीय लागत, पुनर्बीमा आदि पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए वास्तविक एवं वाणिज्यिक प्रीमियम दर की गणना की गई है।

(4) प्रीमियम अनुदान की गणना .—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक को प्रीमियम अनुदान निम्न तालिका अनुसार किया जावेगा :—

क्र.	प्रीमियम स्तर	कृषकों को प्रीमियम अनुदान
1	2 प्रतिशत तक	नहीं
2	> 2 से 5 प्रतिशत	40 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 2 प्रतिशत
3	> 5 से 10 प्रतिशत	50 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 3 प्रतिशत
4	> 10 से 15 प्रतिशत	60 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 5 प्रतिशत
5	> 15 प्रतिशत	75 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 6 प्रतिशत

नेट प्रीमियम से अभिप्राय है कृषक द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर जो कि प्रीमियम अनुदान का हिस्सा निकालने के बाद शेष बची राशि होगी.

परिशिष्ट-2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट) - रबी 2013-14
क्रियान्वयन ऐजेन्सी:—एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
ऋणी/अऋणी कृषक हेतु प्रमियम दर-जिला-दतिया
तहसील-दतिया, सेवढ़ा, इन्दरगढ़, भाण्डेर

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशाहोल्ड उपज के मूल्य तक)					
क्षतिपूर्ति स्तर (प्रतिशत में)	अधिसूचित फसल	बीमित राशि (रुपये/ हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
80%	गेहूं सिंचित	24285	3.65%	2.19%	1.46%
80%	चना	26184	2.88%	2.00%	0.88%
80%	सरसों	16896	3.00%	2.00%	1.00%

टीप :—ऋणी कृषकों के लिये पूर्ण वितरित ऋण राशि बीमित राशि होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

परिशिष्ट-2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट)- रबी 2013-14

क्रियान्वयन ऐजेन्सी:—एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ऋणी/अऋणी कृषक हेतु प्रीमियम दर-जिला-श्योपुर

तहसील-श्योपुर, बडोदा, कराहल, वीरपुर, विजयपुर

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक)

क्षतिपूर्ति स्तर (प्रतिशत में)	अधिसूचित फसल	बीमित राशि (रुपये/ (हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
80%	गेहूं सिंचित	37376	1.70%	1.70%	0.00%
80%	चना	30590	1.60%	1.60%	0.00%
80%	सरसों	32345	2.10%	2.00%	0.10%

टीप :—ऋणी कृषकों के लिये पूर्ण वितरित ऋण राशि बीमित राशि होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

परिशिष्ट-2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट)- रबी 2013-14

क्रियान्वयन ऐजेन्सी:—आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ऋणी/अऋणी कृषक हेतु प्रीमियम दर-जिला-ग्वालियर

तहसील-ग्वालियर, डबरा, भीतरवार, चिन्नौर

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक)

क्षतिपूर्ति स्तर (प्रतिशत में)	अधिसूचित फसल	बीमित राशि (रुपये/ (हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
80%	गेहूं सिंचित	31200	2.25%	2.00%	0.25%
80%	चना	32410	2.00%	2.00%	0.00%
80%	सरसों	23460	3.64%	2.18%	1.46%

टीप :—ऋणी कृषकों के लिये पूर्ण वितरित ऋण राशि बीमित राशि होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

परिशिष्ट-3

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2013-14 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची:-

मौसम जिला	रबी तहसील	वर्ष रा.नि.म. का नाम	2013- 2014 पटवारी हल्का नं.	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				राई-सरसों चना		
				पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)							
ग्वालियर	ग्वालियर	मोहना	00001	बांगवालागांव	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00002	जखोदा	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00003	रेहट	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00004	चराई श्यामपुर	गेहूँ	सिंचित				
			00005	दोरार	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00006	सहसारी	गेहूँ	सिंचित				
			00007	बड़गांव	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00008	मोहना	गेहूँ	सिंचित				
			00009	उम्मेदगढ़	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00010	बन्हेरी	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00011	करही	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00012	पाटई	गेहूँ	सिंचित				
			00013	बड़कागांव	गेहूँ	सिंचित				
			00014	समराई	गेहूँ	सिंचित				
ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव	00015	आरैन	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00016	चेत						राई-सरसों
			00017	हुकुमगढ़	गेहूँ	सिंचित				
			00018	सिमरियाटांका	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00019	महारामपुरा						राई-सरसों
			00020	सिरसा						राई-सरसों
			00021	घाटीगांव						राई-सरसों
			00022	पार	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00023	पनिहार	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
ग्वालियर	ग्वालियर	रायरु	0050	सुसेरा	गेहूँ	सिंचित				
			00041	सिंगोरा	गेहूँ	सिंचित				
			00042	कुलैथ	गेहूँ	सिंचित				चना
			00043	तिलघना						राई-सरसों
			00044	निरावली	गेहूँ	सिंचित				
			00045	जिसौली	गेहूँ	सिंचित				राई-सरसों
			00046	पुरानी छावनी	गेहूँ	सिंचित				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्वालियर	ग्वालियर	लश्कर	00047	मालनपुर	गेहूँ सिंचित			
			00048	मिलावली	गेहूँ सिंचित			
			00049	बरौआ बरावाट	गेहूँ सिंचित			
			00051	रायरु	गेहूँ सिंचित			
			0040	जेवरा	गेहूँ सिंचित			
			0052	रुद्रपुरा	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	ग्वालियर	मुरार	00072	नौगांव	गेहूँ सिंचित			राई-सरसों
			00073	सातड				
			00074	पुरासानी	गेहूँ सिंचित			
			00075	पिपरौली	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	ग्वालियर	गुठीना	00078	डोंगरपुर			राई-सरसों	
			00080	जारगा			राई-सरसों	
			00083	बडोरी	गेहूँ सिंचित			राई-सरसों
			00084	अड्डपुरा जागीर	गेहूँ सिंचित			
			00085	रौरा	गेहूँ सिंचित			राई-सरसों
			00086	बस्तरी	गेहूँ सिंचित			राई-सरसों
			00087	सौंसा			राई-सरसों	
			00088	बधौली			राई-सरसों	
			00089	उदयपुर	गेहूँ सिंचित			राई-सरसों
			00090	गणेशपुरा	गेहूँ सिंचित			
			00091	बड़ागांव		चना		
			00095	जलालपुर	गेहूँ सिंचित			
			00096	जम्हार	गेहूँ सिंचित			
			00097	चक रायपुर	गेहूँ सिंचित			
			00098	भद्रौली	गेहूँ सिंचित			
			00099	सेंथरी	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	ग्वालियर	गुठीना	00100	गिरगांव	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00101	बरेठा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00102	डांग गुठीना	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00103	गुठीना	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00104	बहादुरपुर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00105	सरसपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00106	पारसेन	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00107	सुनारपुरा माफी			राई-सरसों	
			00108	जगुपुरा			राई-सरसों	
			00109	सुरो			राई-सरसों	
			00110	बेंहटा	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00111	जहांगीरपुर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00113	खुरेरी			राई-सरसों	
			00114	वीरमपुरा			राई-सरसों	
			00115	सिरौली			राई-सरसों	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
गवालियर	गवालियर	सुपावली	00117	रतवाई	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00118	बेरजा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00120	विलहेटी			राई-सरसों	
			00121	सुपावली			राई-सरसों	
			00122	खेडा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00123	राई	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00124	सोनी	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00125	बिजोली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00126	इकहरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00127	सिरसोद	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00128	दुहिया	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00129	स्यावरी	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00130	अरौली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00131	बहांगीखुर्द	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00132	मुगलपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00133	भटपुरासानी	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00134	उटीला	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00136	टिहोली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00137	टांकोली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
गवालियर	गवालियर	बेहट	00138	रहावली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00139	मुख्यारपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00140	आरौली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00141	डबका	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00142	बडेराफुटकर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00143	किरावली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00144	भवनपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00145	चपरौली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00146	दयेली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00147	जखारा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00148	विलारा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00149	गुन्धारा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00150	आरोरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00151	फुसावली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00152	चक महरोली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00153	हस्तिनापुर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00154	बेनीपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00155	बेहट	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00156	गडरोली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00157	दंगियापुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00158	घुसगवां	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00159	रनगवां	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्वालियर	डबरा	बिलौआ						
			00001	कल्याणी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00003	जौरासी	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00004	बिलौआ	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00005	गंगापुर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00006	चिरूली	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00007	चिरपुरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00008	लदेरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00009	सूखापाठा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00010	इकोना	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00011	धमनिका			राई-सरसों	
			00012	भगेह			राई-सरसों	
			00013	लखनौनी			राई-सरसों	
			00014	गिजौरा	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00015	मेंहगांव			राई-सरसों	
			00016	किटौरा		चना	राई-सरसों	
			00017	किरौल	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00018	देवगढ़			राई-सरसों	
			00019	हथनौरा		चना	राई-सरसों	
ग्वालियर	डबरा	पिछोर						
			00020	सिसगांव			राई-सरसों	
			00021	शुक्लहारी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00022	कुम्हरा	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00023	कैथोदा	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00024	पुट्टी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00028	गढ़ी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00029	बीरमढाना	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00030	अकबई बड़ी	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00031	धई	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00032	जनकपुर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00033	पिछोर	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00034	सहोना	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00035	छपरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00036	लिधौरा	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00037	अजयगढ़	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
ग्वालियर	डबरा	डबरा						
			00038	अरूसी	गेहूँ सिंचित			
			00039	बरगवां	गेहूँ सिंचित			
			00040	बडेरा बुजुर्ग	गेहूँ सिंचित			
			00041	सरनागत	गेहूँ सिंचित			
			00042	सुल्तानपुर	गेहूँ सिंचित			
			00043	पठा पनिहार	गेहूँ सिंचित			
			00044	समूदन	गेहूँ सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्वालियर	डबरा	छीमक	00045	टेकनपुर	गेहूँ सिंचित			
			00046	बौना	गेहूँ सिंचित			
			00047	बेरु	गेहूँ सिंचित			
			00048	चौंभी	गेहूँ सिंचित			
			00049	खडवई	गेहूँ सिंचित			
			00050	बारोल	गेहूँ सिंचित			
			00051	इटायल	गेहूँ सिंचित			
			00052	सिमरियाताल	गेहूँ सिंचित			
			00053	अर्ल	गेहूँ सिंचित			
			00055	गेडौलकलां	गेहूँ सिंचित			
			00056	डबरा ग्राम	गेहूँ सिंचित			
			00057	रामगढ़	गेहूँ सिंचित			
			00059	कर्रा	गेहूँ सिंचित			
			00060	चांदपुर	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	डबरा	छीमक	00061	मगरौरा	गेहूँ सिंचित			
			00062	लोहगढ़				
			00063	बरौडा	गेहूँ सिंचित			
			00064	सालवई	गेहूँ सिंचित			
			00065	चितावनी	गेहूँ सिंचित			
			00066	महाराजपुर	गेहूँ सिंचित			
			00067	रजियावर	गेहूँ सिंचित			
			00068	अकबई छोटी	गेहूँ सिंचित			
			00069	छीमक	गेहूँ सिंचित			
			00071	खेडीरायमल	गेहूँ सिंचित			
			00073	देवरा	गेहूँ सिंचित			
			00078	झाड़ौली	गेहूँ सिंचित			
			00079	करियावटी	गेहूँ सिंचित			
			00083	विजकपुर	गेहूँ सिंचित			
			00084	भैसनारी	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	00001	सिंधारन	गेहूँ सिंचित			
			00002	गढ़ाजर	गेहूँ सिंचित			
			00003	चरखा	गेहूँ सिंचित			
			00004	बरौआ	गेहूँ सिंचित			
			00005	इकहरा	गेहूँ सिंचित			
			00006	सोता खिरिया	गेहूँ सिंचित			
			00008	बागवई	गेहूँ सिंचित			
			00014	केरूआ	गेहूँ सिंचित			
			00015	गोहिन्दा	गेहूँ सिंचित			
			00016	सासन	गेहूँ सिंचित			
			00017	भितरवार	गेहूँ सिंचित			
			00018	किठोंदा	गेहूँ सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्वालियर	भितरवार	देवरीकलां	00019	श्यामपुर	गेहूँ सिंचित			
			00020	जौरा	गेहूँ सिंचित			
			00021	रही	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	चिनोर	आंतरी	00022	बेला	गेहूँ सिंचित			
			00023	खेड़ाटांका	गेहूँ सिंचित			
			00024	रिठोदन	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00025	स्याउ	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00026	रिछारीकलां	गेहूँ सिंचित			
			00027	रिछारीखुर्द	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00028	बाजना	गेहूँ सिंचित	चना		
			00029	डोंगरपुर	गेहूँ सिंचित			
			00030	चिटोली	गेहूँ सिंचित			
			00031	हरसी	गेहूँ सिंचित			
			00032	बेलखेड़ा	गेहूँ सिंचित			
			00033	घेवट	गेहूँ सिंचित			
			00034	देवरीकलां	गेहूँ सिंचित			
			00035	मुसाहरी	गेहूँ सिंचित			
			00036	मस्तूरा	गेहूँ सिंचित			
			00037	गधौटा	गेहूँ सिंचित			
			00038	पलायछा	गेहूँ सिंचित			
			00039	बनियातौर	गेहूँ सिंचित			
			00040	सहारन	गेहूँ सिंचित			
			00041	आदमपुर	गेहूँ सिंचित			
			00042	देवगढ़	गेहूँ सिंचित			
			00043	खेड़ा भितरवार	गेहूँ सिंचित			
			00044	मोहनगढ़	गेहूँ सिंचित			
			00045	खड़ौआ	गेहूँ सिंचित			
ग्वालियर	चिनोर	आंतरी	00001	अमरौल	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00002	सिकरोदा	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00003	बड़ेरा भारस	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00004	आंतरी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00005	ऐराया	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00006	कछौआ	गेहूँ सिंचित		राई-सरसों	
			00007	लदवाया	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00008	भरथरी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00009	पुरी	गेहूँ सिंचित			
			00010	बड़की सराय	गेहूँ सिंचित			
			00011	खैरवाया	गेहूँ सिंचित			
			00012	पिपरौ	गेहूँ सिंचित			
			00013	भैंगना	गेहूँ सिंचित			
			00014	कैथी	गेहूँ सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग्वालियर	चिनोर	चिनोर	00015	किशनपुर	गेहूँ सिंचित			
			00016	भोरी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00017	झांकरी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00018	पिपरौआ	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
दतिया	दतिया	Bargai	00019	हिम्मतगढ़	गेहूँ सिंचित			
			00020	घिरौली	गेहूँ सिंचित			
			00021	मउछ	गेहूँ सिंचित			
			00022	बनवार	गेहूँ सिंचित			
			00023	उर्वा	गेहूँ सिंचित			
			00024	पुराबनवार	गेहूँ सिंचित			
			00025	ककरधा	गेहूँ सिंचित			
			00026	दुवहा	गेहूँ सिंचित			
			00027	दुवही	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	
			00028	करहिया	गेहूँ सिंचित			
			00029	ईटमा	गेहूँ सिंचित			
			00030	मेहगांव	गेहूँ सिंचित			
			00031	सिरसुला	गेहूँ सिंचित			
			00032	किशोरगढ़	गेहूँ सिंचित			
			00033	चीनोर	गेहूँ सिंचित			
			00034	रखआ	गेहूँ सिंचित			
			00035	घरसोदी	गेहूँ सिंचित			
			00036	नौन की सराय	गेहूँ सिंचित			
			00037	मैना	गेहूँ सिंचित			
			00038	दौनी	गेहूँ सिंचित			
			00039	दौलतपुर	गेहूँ सिंचित			
			00040	पचौरा	गेहूँ सिंचित			
श्योपुर	श्योपुर	मानपुर	00001	खिरखिरी	गेहूँ सिंचित	चना	राई-सरसों	